"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 163] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 03 अप्रैल 2014—चैत्र 13, शक 1936

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2014

क्रमांक 08/चार/लो. स. चु./2014/9527.—लोकसभा आम चुनाव-2014 के लिये एक्जिट पोल के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली का अधिसूचना संख्या 576/एक्जिट/2014/एस.डी.आर.-खण्ड-I, दिनांक 03 अप्रैल, 2014 एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-
(सुनील कुमार कुजूर)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई-दिल्ली, तारीख 3 अप्रैल, 2014— 13 चैत्र, 1936 (शक)

अधिसूचना

संख्या 576/एक्ज़िट/2014/एस.डी.आर.-खण्ड-I.— यत:, लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2014 तथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा तथा सिक्किम के विधान सभा-2014 के साधारण निर्वाचनों और बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल की राज्य विधान सभाओं के लिए उप-निर्वाचनों की घोषणा आयोग की दिनांक 05 मार्च, 2014, के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/10/13/2014; 10 मार्च, 2014 के सं.ईसीआई/पीएन/13/2014 और 27 मार्च, 2014 के सं.ईसीआई/पीएन/10/17/2014 के द्वारा कर दी गई थी;

2. और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्ज़िट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्ज़िट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा;

3. यत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के संबंध में एतद्द्वारा, 07 अप्रैल, 2014 (सोमवार) को पूर्वान्ह 07.00 बजे तथा 12 मई, 2014 (सोमवार) को अपरान्ह 06.30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान लोकसभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन, 2014 तथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एवं सिक्किम-2014 की राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन और बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल की राज्य विधान सभाओं में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से उप-निर्वाचनों, जो कि लोकसभा साधारण निर्वाचनों के साथ-साथ आयोजित होंगे, के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्ज़िट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा.

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों तथा उप निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा.

आदेश से,

हस्ता./-
(आशीष चक्रवर्ती)
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 3rd April, 2014—13 Chaitra, 1936 (Saka)

NOTIFICATION

No. 576/Exit/2014/SDR-Vol.-I.— Whereas, the schedules for the General Elections to the House of the People, 2014 and the State Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim 2014 and bye-elections in the State Legislative Assembies of Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and West Bengal- were announced by the Commission vide Press Notes bearing No. ECI/PN/10/2014, dated 5th March, 2014, No. ECI/PN/13/2014 dated 10th March, 2014 & No. ECI/ PN/17/2014, 27th March, 2014;

2. And Whereas, as per the provisions of Section 126A of the R.P. Act, 1951, there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard;

3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-section (2) of the said Section, hereby notifies the period between 7.00 AM on 07th April 2014 (Monday) and 06.30 PM on 12th May, 2014 (Monday), as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the current General Elections to the House of the People, 2014 and the State Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim 2014 and bye-elections from assembly constituencies in the State Legislative Assembies of Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and West Bengal to be held simultaneously with the general election to Lok Sabha shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll in the respective polling areas in connection with aforesaid General elections and by-elections.

By Order,

Sd/-
(Ashish Chakraborty)
Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.